न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/94/19	01.10.2019	16–12–2019

1–गीता पत्नी बचन लाल जाति जाट निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर।
——प्रार्थी

बनाम

1–चिम्मन लाल पुत्र दीवान चन्द जाति जाट निवासी ग्राम रायसिस नंगला कटोरी वाला तिबारात शमशान घाट के पास अलवर।
2–रोशन लाल पुत्र दीवान चन्द जाति जाट निवासी करौली का बास मिलकपुर अलवर।
3–तिलक राम पुत्र दीवान चन्द जाति जाट निवासी ग्राम कोली बास मिलकपुर अलवर।
4–दयावन्ती पुत्री दीवान चन्द पत्नी खैराती लाल जाति जाट निवासी रतिया मार्ग गली नम्बर 1 संगम विहार नई दिल्ली।
5–पुष्पा देवी पुत्री दीवान चन्द पत्नी सोमनाथ जाति जाट निवासी ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा अलवर।
6–लाजवन्ती पुत्री दीवान चन्द पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी गली नम्बर 9 बस्ती गुजा जालंधर पंजाब।
7–प्रकाश देवी पत्नी फकीरचन्द जाति जाट निवासी गली नम्बर 7 जवाहर कैम्प बस स्टेण्ड के पास लुधियाना पंजाब।
——असल अप्रार्थी
8–जगमाल पुत्र मोहर सिंह अहीर
9–रोहिताश पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम नयागांव टिहली तहसील तिजारा अलवर।
10–सुर्दशना पत्नी मदन लाल।
11–सुनीता देवी पत्नी बलवीर चन्द जाति जाट निवासीयान ग्राम मंढा माजरा तहसील तिजारा जिला अलवर।
12–उप खण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर।
————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री संतोष कुमार बंसल/श्री दिनेश कुमार यादव —वकील प्रार्थी
02. श्री निर्मल कुमार जैन —वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी सुर्दशना वगैरा बनाम चिम्मन लाल वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। राजस्व वाद में वर्णित आराजी प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.11.2008 व 11.11.2008 को कराकर इंतकाल स्वीकार होकर प्रार्थी के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उन्होंने अपने प्रभाव में पीठासीन अधिकारी को ले लिया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में एक साथ आते जाते देखा है। अप्रार्थी ने गांव में एलानिया कहा कि हमनें एस0डी0एम0 साहब से बातचीत कर ली है और प्रकरण का निस्तारण शीध्र ही हमारे पक्ष में करा कर रहेंगे। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में बहुत ही रूची दिखा रहे है। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 17.01.19 की पेशी नियत थी उसके पश्चात दिनांक 14.1.19, 7.1.19, 21.2.19, 11.3.19, 12.3.19 की नियत की जा रही है। जिससे स्पस्ट है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में निष्पक्ष न्याय नही करेगें, और वाद पत्र व प्रार्थना पत्र 212

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

राज0काश्त0अधिनियम का फैसला अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया तो प्रार्थी को नापूर्ति क्षति होगी। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करेगें, पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण को बेजला लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने जावब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में विवादित आराजी से प्रार्थी व तर0 अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है मात्र 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ला0 6 का एवं 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 का है जो काबिज काश्त है जो निर्णय दिनांक 23.5.18 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है। प्रार्थी एव तर0 अप्रार्थी ने दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 प्रस्तुत कर एकतरफा में दिनांक 12.6.18 को अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द करावाया हुआ है। अप्रार्थी ने छोटी पेशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.1.19 को प्रस्तुत कर उसके साथ जवाब प्रार्थना पत्र टी आई प्रस्तुत किया जिस पर पेशी दिनांक 24.1.19 नियत की गई। प्रार्थी द्वारा बहस पत्रावली में आने से पूर्व ही पूर्व में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.6.19 को खारिज हो गया तथा उसके पश्चात पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ताकि पत्रावली में कोई कार्यवाही नही हो सकें। पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो बिल्कुल अप्राकृति है किसी भी तरह इस तरह की बाते पीठासीन अधिकारी नही कहे सकता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 16–12–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर